

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2339 सन् 2026

रवि गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	आदित्य उपाध्याय, अम्बरीश पांडेय
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी.ए., हरि शंकर श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य उपाध्याय, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री उमाशंकर मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान आवेदन, अभियोग संख्या 356 सन् 2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(2) एवं 61(2) बी.एन.एस., 2023, थाना- शालीमार गार्डन, जनपद- गाज़ियाबाद के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने प्रथम सूचनाकर्ता से ऋण लिया था, को सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में ही नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया है कि आवेदक को सह-अभियुक्त व्यक्तियों के सहयोगी होने की भूमिका आरोपित की गई है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक, जो कि एक सरकारी सेवक है, आवेदक और प्रथम सूचनाकर्ता के मध्य हुए ऋण लेन-देन में संलिप्त रहा है तथा उसने दलाली के रूप में कुछ राशि प्राप्त की है और सह-अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता से अपने बैंक खाते में ऋण की राशि भी प्राप्त की है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता ने प्रथम सूचनाकर्ता से रु. 32,00,000/- का ऋण प्राप्त किया है और कहा गया है कि आवेदक ने उक्त लेन-देन में सहायता प्रदान



की है। सह-अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता को सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में ही नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक- रवि गुप्ता की गिरफ्तारी की दशा में, उपर्युक्त अभियोग से उसे रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, जे.)

19 मार्च, 2026

रमा कांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"